FORM NO. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 82/2023 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान– बत्तीलाल बनाम मोहरसिंह वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
18.10.2023	पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की प्रार्थना पत्र अन्तरिम निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2023 के बाद आगामी पेशी दिनांक 09.11.2023 नियत की गयी किन्तु तहत न्यायालय ने पुनश्च कर स्वयं के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा निरस्त किये जाने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया, ना किसी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त हुआ और ना ही सुनवाई हेतु पक्षकारान को सूचना दी गयी। पश्चातवर्ती आदेश हस्तलिखित है। दिनांक 22.09.2023 के आदेश की चालू वर्ष की जमाबंदी में स्थगन का अंकन भी हो गया था। इससे यह साबित होता है कि यह आदेश बाद में किया गया है। अतः ऐसे में तहत न्यायालय ने पुनश्च करके जो आदेश दिया है उसका प्रचलन व प्रभाव स्थगित फरमाया जावे। हमने अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2023 का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। अतः [illegible]लय का आदेश दिनांक 22.09.2023 का [illegible] आगामी सुनवाई दिनांक 09.11.2023 तक [illegible]त करते हुये रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बन[illegible] रखने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं। प्रकरण का एक माह में निर्णय करना सुनिश्चित करे। निर्णय के प्रति तहत	

30/ राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

	न्यायालय को शीघ्र भिजवाये तथा अपीलांट नियत दिनांक को तहत न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। 30/18/10/23 उम्मेदीलाल मीना (आर.ए.एस) राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner